न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :–105/2020 रे.वाद (2020/00355) दर्ज दिनांक 05.08.2020

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

मांगीलाल पिता कालू गुर्जर निवारी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. नरेश कुमार पिता देवीलाल प्रजापत निवारी मकान नं0 4/10 , देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. आशापुरा माईन्स एण्ड मिनरल्स मकान नं0 4/10 , देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

—–प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता वादी:– श्री संतोष कुमार पारीक
अधिवक्ता प्रतिवादीगण:– श्रीमती सज्जन बैरवा (प्रति0 1–2)
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 25.09.2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 10.08.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 746/3134 रकबा 1.27 हे0 भूमि खाता संख्या 18 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 पर स्थित का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी[illegible]020 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला [illegible] संख्या एक से दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 746/3134 रकबा 1.27 हे0 भूमि खाता संख्या 18 जमावंदी संवत् 2075 से 2078 प[illegible]थत का विभाजन चाहने [illegible] तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादपत्र संख्या 105/2020 (2020/00355)
अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. मांगीलाल पि0 कालु गजर नि0 लखमणियास सा. देह खातेदार	लाखोला (खाता संख्या 18)	746/3134/2	0.42
		योग	1	0.42
2	1. आशापुरा माइन्स एण्ड मिनरल जरिये भागीदार बृजेश कुमार पि0 रामगोपाल काकाणी सा गंगापुर हि0 1/2 खातेदार 2. नरेश कुमार पि0 देवीलाल हि0 1/2 जाति प्रजावत सा. जम्भेश्वर काम्पलेक्स के पास गांधीनगर भीलवाड़ा खातेदार	लाखोला (खाता संख्या 180)	746/3134/1	0.85
		योग	1	0.85

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS)

प्रकरण संख्या :–105/2020 रे.वाद (2020/00355) दर्ज दिनांक 05.08.2020

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

मांगीलाल पिता कालू गुर्जर निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. नरेश कुमार पिता देवीलाल प्रजापत निवासी मकान नं0 4/10, देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. आशापुरा माईन्स एण्ड मिनरल्स मकान नं0 4/10, देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता वादी:– श्री संतोष कुमार पारीक
अधिवक्ता प्रतिवादीगण:– श्रीमती सज्जन बैरवा (प्रति0 1–2)
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 25.09.2020
डिक्री दिनांक : 25.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री संतोष कुमार पारीक** व प्रतिवादीगण अधिवक्ता **श्रीमती सज्जन बैरवा** एवं **पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें।खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. मांगीलाल पि0 कालु गजर नि0 लखमणियास सा. देह खातेदार	लाखोला (खाता संख्या 18)	746/3134/2	0.42
		योग	1	0.42
2	1. आशापुरा माइन्स एण्ड मिनरल जरिये भागीदार बृजेश कुमार पि0 रामगोपाल काकाणी सा गंगापुर हि0 1/2 खातेदार 2. नरेश कुमार पि0 देवीलाल हि0 1/2 जाति प्रजावत सा. नागेश्वर काम्पलेक्स के पास गांधीनगर भीलवाड़ा खातेदार	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		योग	1	0.85

1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादपत्र संख्या 105 / 2020 (2020 / 00355)
अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

नीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....बावत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.09.2020 को जारी किया गया।

(विकास पचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
हुक्मनामा	–		मुनफरिक	–	
मुनफरिक			मीजान		
मीजान					

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

: प्रारम्भिक डिक्री :–

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

करण संख्या :–105/2020 रे.वाद (2020/00355) दर्ज दिनांक 05.08.2020

न्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

गांगीलाल पिता कालू गुर्जर निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. नरेश कुमार पिता देवीलाल प्रजापत निवासी मकान नं0 4/10, देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. आशापुरा माईन्स एण्ड मिनरल्स मकान नं0 4/10, देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगणः– श्री संतोष कुमार पारीक

अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्रीमती सज्जन बैरवा (प्रति0 1–2)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

:: निर्णय ::

दिनांक 10.08.2020

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 18 में अंकित आराजी संख्या 746/3134 रकबा 1.27 हे0 भूमि स्थित है में वादी का 1/3 हिस्सा, निहित है।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड अवश्य है परन्तु सभी प्रतिवादीगण मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज है।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी पर वादी अपने माफिक रेकार्ड हिस्से पर भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त लाभ ले रहा है।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी अपने माफिक [illegible] पर काबिज है लेकिन अपने हिस्से को उन्नत बनाने, डवलप करने [illegible] करने तथा कृषि कार्यो में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा [illegible] बौण्ड्रस के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी [illegible] अंकित आराजी संख्या 746/3134 रकबा 1.27 हे0 भूमि स्थित है में वादी का 1/3 [illegible] का स्वतंत्र संयुक्त राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें।

1.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—105/2020 (2020/00355) रे.वाद
अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण विधिवत दिनांक 05.08.2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा जवाब पेश नहीं करके वाद पत्र को स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की ।

वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही बहस उभयपक्ष सुनी गई अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये चालु जमावंदी अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या एक व दो के अधिवक्ता द्वारा सहमती जाहिर की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोलाा तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 18 में अंकित आराजी संख्या 746/3134 रकबा 1.27 हे0 भूमि स्थित है में वादी का 1/3 हिस्सा, निहित है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का है। जिनका उभयपक्ष विभाजन करने का अधिकारी है। अतः

—: आदेश :—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 18 में अंकित आराजी संख्या 746/3134 रकबा 1.27 हे0 भूमि स्थित है में वादी का 1/3 हिस्सा, निहित हैएवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का है। उक्तानुसार उभयपक्ष का पृथक – पृथक खाता नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे का ध्यान में रखते हुये बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाडा को जारी हो पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पेश होने दिनांक 31.08.2020 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 2.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

: प्रारम्भिक डिक्री :–

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला– भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली

प्रकरण संख्या :–105 / 2020 रे.वाद (2020 / २२३५५) दर्ज दिनांक 05.08.2020

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

मांगीलाल पिता कालू गुर्जर निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

1. नरेश कुमार पिता देवीलाल प्रजापत निवासी मकान नं0 4 / 10 , देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. आशापुरा माईन्स एण्ड मिनरल्स मकान नं0 4 / 10 , देव निवास, होटल अमर पैलेस के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण:– श्री संतोष कुमार पारीक

अधिवक्ता प्रतिवादी:– श्रीमती सज्जन बैरवा (प्रति0 1–2)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत हाजा व बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री संतोष कुमार पारीक मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्रीमती सज्जन बैरवा एवं पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 18 में अंकित आराजी संख्या 746 / 3134 रकबा 1.27 हे0 भूमि स्थित है में वादी का 1 / 3 हिस्सा, निहित हैएवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का है। उक्तानुसार उभयपक्ष का पृथक – पृथक खाता नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे का ध्यान में रखते हुये बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें।

नीज ×××× मुबलिग×××× बाबत××××खर्चा इस मुकदमें में मय सूद शरह×××× की फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी त[illegible] अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के [illegible] प्रारम्भिक डिकी जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner